

राजस्थान सरकार

गृह(ग्रुप-12)विभाग

क्रमांक : प.1(11)गृह--12 / कारा / 2004

जयपुर, दिनांक 23.09.2014

:: आदेश ::

राजस्थान जेल सेवा नियम, 1959 के नियम 23 के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर श्री सुधीर प्रकाश पूनिया, उपाधीक्षक को वर्ष 2013-14 की रिक्ति के विरुद्ध अधीक्षक ग्रेड-ग के पद पर विरिष्टता एवं योग्यता के आधार पर पदोन्नत किया जाता है।

अतः उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्री सुधीर प्रकाश पूनिया, उपाधीक्षक, को वर्तमान पदस्थापन स्थान जिला कारागृह अलवर पर ही अधीक्षक ग्रेड-ग, के रिक्ति पर पदस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. सचिव, मानो मुख्यमंत्री, राजस्थान।
2. निजि सचिव, अतिओ मुख्य सचिव, गृह विभाग।
3. निजि सचिव, अतिओ शासन सचिव, गृह विभाग।
4. निजि सचिव, विशिष्ट सचिव, गृह विभाग।
5. महानिदेशक कारागार, राजस्थान जयपुर।
6. अधीक्षक, जिला कारागृह, अलवर।
7. श्री सुधीर प्रकाश पूनिया, उपाधीक्षक जिला कारागृह, अलवर।
8. निजी पत्रावली / रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव